भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2705
04/08/202 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत परियोजनाओं की स्थिति

2705. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से राज्य के रतलाम-झाबुआ अलीराजपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मछली उत्पादन, मत्स्यपालन बुनियादी ढांचे और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों सहित जिला-वार लाभान्वित मछुआरों, स्वीकृत परियोजनाओं, मछली तालाबों, मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों, शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) और विपणन सुविधाओं का ब्यौरा तथा इस योजना के तहत जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के मछुआरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, बीमा और ऋण सुविधाएं प्रदान करने तथा मछली उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष पहल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की भावी कार्ययोजना क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 20,750 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को 910.80 करोड़ रुपये की विभिन्न मत्स्य विकास गतिविधियों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 305.50 करोड़ रुपये है। इस आवंटित राशि के सापेक्ष, राज्य सरकार को 292.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 225.47 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्य तालाबों, मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, विपणन (मार्केटिंग) सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों सहित जिला-वार स्वीकृत धनराशि, उपयोग की गई धनराशि और लाभांवित मत्स्य पालकों की कुल संख्या का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय/राज्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थान, विश्वविद्यालय/कॉलेज, मत्स्य अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और पैनलबद्ध फर्मों/एजेंसियां शामिल हैं, के सहयोग से आधुनिक उपकरणों और सर्वोत्तम जलीय कृषि तौर-तरीकों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है। पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ समूह आकस्मिक दुर्घटना बीमा कवर के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। यह सुविधा समुद्री और अंतर्देशीय दोनों प्रकार के मछुआरों और संबद्ध मत्स्य श्रमिकों को उपलब्ध है, जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में और हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में संपूर्ण प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले बीमा कवर में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 5,00,000/- रुपये, (ii) स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 2,50,000/- रुपये, और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 25,000/- रुपये की राशि। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने मछुआरों और मत्स्य पालकों को रियायती दरों पर संस्थागत ऋण प्रदान कर उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (केसीसी) सुविधा का भी विस्तार किया है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में बीमा और ऋण सुविधा सहायता तथा आधुनिक जलीय कृषि तौर-तरीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मछुआरों और मत्स्य पालकों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**जिला का नाम**	**प्रशिक्षित मछुआरों की संख्या**	**केसीसी के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले मत्स्यपालक**	**वार्षिक रूप से बीमित मत्स्य किसानों का औसत**
1	रतलाम	202	1619	1912
2	झाबुआ	462	1050	846
3	अलीराजपुर	627	1167	1013

अनुबंध

माननीय सांसद श्रीमती अनीता नागरसिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत परियोजनाओं की स्थिति के बारे में पूछे गए 4 अगस्त, 2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2705 के उत्तर में दिया गया विवरण:

PMMSY के तहत वर्ष 2020-21 से मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों सहित जिलेवार स्वीकृत, उपयोग किए गए फंड और लाभान्वित मछली किसानों की संख्या का जिलेवार विवरण।

क्र.सं.	जिले का नाम	संस्वीकृत निधि (लाख रुपये में)	उपयोग की गयी निधि (लाख रुपये में)	कुल लाभान्वित मछली पालकों की संख्या
1	भोपाल	599.975	599.975	2031
2	सीहोर	418.926	418.926	483
3	राजगढ़	1021.098	1021.098	193
4	विदिशा	924.336	924.336	1041
5	रायसेन	756.480	756.480	668
6	हरदा	431.538	431.538	134
7	बेतुल	456.951	456.951	2737
8	होशंगाबाद	1170.798	1170.798	768
9	इंदौर	539.698	539.698	367
10	खरगोन	980.616	980.616	1389
11	बुरहानपुर	176.982	176.982	1260
12	खंडवा	561.780	561.780	3058
13	धार	516.618	516.618	1843
14	**झाबुआ**	**136.158**	**136.158**	**261**
15	**अलीराजपुर**	**83.466**	**83.466**	**189**
16	**रतलाम**	**420.133**	**420.133**	**240**
17	उज्जैन	792.990	792.990	444
18	शाजापुर	809.346	809.346	515
19	अगर मालवा	626.424	626.424	171
20	देवास	253.576	253.576	233
21	मंदसौर	369.933	369.933	2370
22	बड़वानी	400.038	400.038	1365
23	नीमच	231.043	231.043	3607
24	जबलपुर	224.845	224.845	1649
25	बालाघाट	1449.267	1449.267	12360
26	डिंडोरी	271.116	271.116	1441
27	सिवनी	392.622	392.622	3568
28	मंडल	277.872	277.872	4745
29	छिंदवाड़ा	361.650	361.650	417
30	नरसिंहपुर	246.422	246.422	384
31	कटनी	286.697	286.697	1243
32	रीवा	482.772	482.772	579
33	अनूपपुर	432.251	432.251	464
34	सीधी	270.108	270.108	234
35	सिंगरोली	195.744	195.744	275
36	शाहडोल	924.494	924.494	3325

क्र.सं.	जिले का नाम	संस्वीकृत निधि (लाख रुपये में)	उपयोग की गयी निधि (लाख रुपये में)	कुल लाभान्वित मछली पालकों की संख्या
37	सतना	246.552	246.552	271
38	उमरिया	63.251	63.251	863
39	ग्वालियर	124.406	124.406	103
40	गुना	409.884	409.884	268
41	शिवपुरी	309.601	309.601	152
42	श्योपुर	418.272	418.272	733
43	दतिया	163.472	163.472	214
44	मुरैना	67.467	67.467	54
45	भिंड	203.520	203.520	166
46	अशोक नगर	385.320	385.320	314
47	सागर	107.262	107.262	461
48	पन्ना	859.752	859.752	977
49	टीकमगढ़	381.120	381.120	2161
50	निवाड़ी	44.984	44.984	886
51	छतरपुर	184.384	184.384	329
52	दमोह	82.931	82.931	840
	कुल	22546.941	22546.941	64843